पतंगबाजीः बिजली आपूर्ति में बाधा पहुंचाना और बिजली उपकरणों को क्षतिग्रस्त करना कानूनन जुर्म

- 15 अगस्त पर पतंगबाजी से हो सकती है हजारों घरों की बिजली गुल

नई दिल्लीः 9 अगस्त, 2016। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बड़े पैमाने पर होने वाली पतंगबाजी के कारण हजारों घरों की बिजली गुल हो सकती है। अगर 66/33 केवी की सिर्फ लाइन ट्रिप हो जाए, तो इससे एकसाथ 10 हजार लोगों के घरों में अंधेरा छा सकता है।

बिजली आपूर्ति में बाधा पहुंचाना और बिजली के उपकरणों को क्षतिग्रस्त करना कानूनन जुर्म है। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट और दिल्ली पुलिस ऐक्ट के तहत सजा का प्रावधान है।

पिछले साल, पतंगबाजी की वजह से हुई ट्रिपिंग के कारण बीएसईएस इलाके में 45 जगहों पर बिजली गुल हुई थी। गौरतलब है कि ट्रिपिंग के बाद बिजली को बहाल करने में 15 मिनट से लेकर 2 घंटे तक का वक्त लगता है।

हालांकि, पतंगबाजी की वजह से होने वाली ट्रिपिंग्स के मद्देनजर बीआरपीएल और बीवाईपीएल ने अपनी ओएंड टीमों को हाईअलर्ट पर रहने को कहा है। टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि कहीं पतंगबाजी की वजह से ट्रिंपिंग होती है, तो घटनास्थल पर तुरंत पहुंचकर, इलाके में जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था बहाल की जाए।

बीएसईएस ने पतंगबाजी के शौकीनों से अपील की है कि वे बिजली के पोल्स, तारों, ट्रांसफॉर्मरों और अन्य उपकरणों के आसपास पतंग न पड़ाएं। उपभोक्ताओं से यह भी अपील की गई है कि वे पतंग उड़ाने के लिए मेटल–युक्त मांझे का प्रयोग न करें। मैटलिक मांझा न सिर्फ इलाके की बिजली गुल कर सकता है, बल्कि इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। याद रखें, मेटल–युक्त मांझा जब बिजली की तारों व अन्य उपकरणों के संपर्क में आता है, तो बिजली का करंट मैटलिक मांझे से प्रवाहित होकर आपके शरीर तक पहुंच सकता है।

हर साल पतंगबाजी की वजह से बिजली की लाइनों व उपकरणों को भारी नुकसान पहुंचता है। यदि पतंगबाजी की वजह से 33/66 केवी की एक लाइन ट्रिप होती है, तो करीब 10,000 लोगों की बिजली ठप हो सकती है। यदि 11 केवी की एक लाइन ट्रिप होती है, तो लगभग 2500 लोगों की बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।

बीएसईएस ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने बच्चों को मैटेलिक मांझे के बारे में जागरूक करें और यह भी बताएं कि कटी हुई पतंग लेने के लिए बिजली उपकरणों के पास या प्रतिबंधित इलाकों में न जाएं। यह उनकी जान को जोखिम में डाल सकता है।